

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 275/2020

अनवान :

1. महेश प्रताप सिंह पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी गांव ढाका तह० भादरा।
2. प्रेमपाल सिंह पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी गांव ढाका तहसील भादरा।
3. विनोद पुत्र रामपत जाति जाट निवासी गांव ढाका तहसील भादरा।
4. भवमन्यू पुत्र रामपत जाति जाट निवासी गांव ढाका तहसील भादरा।

:- वादीगण

**बनाम**

1. रामपत पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी गांव ढाका तहसील भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी गांव ढाका तहसील भादरा।
3. शांति पुत्री सुखराम जाति जाट निवासी गांव ढाका तहसील भादरा।
4. मन्थरी पुत्री सुखराम जाति जाट निवासी गांव ढाका तहसील भादरा।
5. किताबो पुत्री सुखराम जाति जाट निवासी गांव ढाका तहसील भादरा।
6. सरवती पुत्री सुखराम जाति जाट निवासी गांव ढाका तहसील भादरा।
7. सावित्री पुत्री सुखराम जाति जाट निवासी गांव ढाका तहसील भादरा।
8. राजवाला पुत्री सन्तोदेवी पुत्री सुखराम जाति जाट निवासी गांव ढाका त० भादरा।
9. कृष्णा पुत्री सन्तोदेवी पुत्री सुखराम जाति जाट निवासी गांव ढाका त० भादरा।
10. माया पुत्री सन्तोदेवी पुत्री सुखराम जाति जाट निवासी गांव ढाका त० भादरा।
11. कानाराम पुत्र सन्तोदेवी पुत्री सुखराम जाति जाट निवासी गांव ढाका त० भादरा।
12. राजेन्द्र पुत्र सन्तोदेवी पुत्री सुखराम जाति जाट निवासी गांव ढाका त० भादरा।
13. औमप्रकाश पुत्र सन्तोदेवी पुत्री सुखराम जाति जाट निवासी गांव ढाका त० भादरा।

14. सरोज पुत्री रामपत जाति जाट निवासी गांव ढाका तहसील भादरा।  
डि. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) भादरा


:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद गुड शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र कुमार एवं वकील प्रतिवादी रविन्द्र मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाका के खाता सं०

111/94 के ख0नं0 24 की 2.238है0, ख0नं0 44 की 2.125है0, ख0नं0 49 की 3.351है0, ख0नं0 165 की 0.885है0, ख0नं0 180 की 4.186है0 कुल 12.785हैव वारानी खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान में जमाबंदी संवत् 2072-76 में सुगाराम वल्द मेवाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा भनाई के खाता नं0 508/442 में खसरा नं0 703 की 5.962है0 वारानी खातेदारी कृषि भूमि में सुगया वल्द मेवा के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 14 ने अपना हक हिस्सा वादीगण और प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः उक्त वर्णित वाद भूमि में से रोही मौजा ढाका के खता सं0 111/94 की वादभूमि से सुगाराम वल्द मेवाराम व रोही मौजा भनाई के खाता सं0 508/442 के खाता सं0 से सुगया वल्द मेवा का नाम कलमजन कर वादभूमि में वादी सं0 1 महेश प्रतापसिंह, वादी सं0 2 प्रेमपाल सिंह, वादी सं0 3 विनोद, वादी सं0 4 भवमन्यु, प्रतिवादी सं0 1 रामपत तथा प्रतिवादी सं0 2 भूपसिंह को बहिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(शक्ति चौधरी)  
(फास्ट ट्रेक) JUDGE  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़